

जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करण का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किरम बरानी-1 राजरव रिकार्ड में अंकित थी, प्रार्थी की भूमि व्यवसायिक नहीं थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी सख्या-2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख०न० 1783/1689/509 में से 1400 वर्गमीटर, किरम जमीन बरानी-1 वाके ग्राम सिरोही का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक भूमि की डी०एल०सी० दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा भूमि के व्यवसायिक होने के संबंध में साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
आरबीएडर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)



न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

260 / 2011

15.09.2011

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल जाति खटीक निवासी दलवासा हाल निवासी कुचलवाडा
रोड शिव कॉलोनी पंचायत उच्चा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज०

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं० 12 टोंक।
- 3-तहसीलदार देवली जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री बंसत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या:-2

निर्णय

दिनांक 30.05.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम सिरोही तहसील देवली की भूमि ख०नं० 1783/1689/509 में से 1400 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी व्यावसायिक की डीएलसी दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 2202/09 दिनांक 29.06.2010 को निरस्त कर व्यवसायिक की दर से भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थीगण की गई एवं अवाड़े पत्रावली 2202/09 दिनांक 29.06.2010 तलव की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख०नं० 1783/1689/509 में से कुल रकबा 1400 वर्गमीटर वाले ग्राम सिरोही में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन

- 775 -



आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)